भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड,
भोपालपानी, देहरादून।

संख्याः 6701 /उ0ख0/भू0खनि0नि0/ई–निविदा तकनी0नि0/2023–24, दिनांक 07 मार्च, 2024

वित्तीय निविदा का परिणाम

उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग–1 की अधिसूचना संख्या 977/VII-A-1/2023–24ख/2007, दिनांक 16 जून, 2023 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के अध्याय–4 के नियम–20 (1), (2) एवं (4) में राजस्व नदी तल उपखनिज लॉटों की घोषणा किये जाने, घोषित उपखनिज लॉटों का ई–निविदा सह ई–नीलामी के माध्यम से आवंटन की कार्यवाही के प्राविधानों के दृष्टिगत निदेशालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या 6151/र0ख0ला0/ई0नी0/वि0का0ज्ञा0/भू0खनि0नि0/2023–24, दिनांक 16 फरवरी, 2024 के द्वारा विज्ञप्तिकरण हेतु प्रदत्त स्वीकृत के क्रम में कार्यालय के निविदा आमंत्रण प्रपत्र संख्या 6167/PTH_001/भू0खनि0नि0/ई0नीला0/2023–24, दिनांक 16.02.2024 के द्वारा जनपद पिथौरागढ़ की तहसील गंगोलीहाट के ग्राम खरकोली क्षेत्रान्तर्गत खसरा सं0 2762, 2763, 2808, 2809 कुल रकवा 0.881 है0 के मध्ये 0.600 है0 उपखनिज क्षेत्र हेतु प्रति वर्ष उपखनिज की निकासी की मात्रा 21,600 टन एवं आधार मूल्य रू0 15,12,000.00 निर्धारित करते हुए, उक्त उपखनिज लॉट को नियमावली के नियम 20(2) के प्रावधानानुसार 05 है0 से कम क्षेत्रफल हेतु राज्य के मूल निवासी/निवासियों की समितियों/फर्म/कम्पनियों को 05 वर्ष की अवधि हेतु ई–निविदा सह ई–नीलामी के माध्यम से आवंटन के लिए तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा में इच्छुक बोलीदाताओं हेतु निर्धारित समय–सारणी के अनुसार ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की गयी, जिसके क्रम में तकनीकी निविदा निर्धारित तिथि दिनांक 02.03.2024 (शनिवार) को उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष निविदा समिति के द्वारा खोली गयी, जिसका परिणाम दिनांक 05.03.2024 को घोषित किया।

निदेशालय के पत्र संख्या 6595/उ0ख0/भू0खनि0नि0/ई–निविदा तकनी0नि0/2023–24, दिनांक 05 मार्च, 2024 के द्वारा निविदा समिति की संस्तुति के दिनांक 02.03.2024 के अनुसार जनपद पिथौरागढ़ की तहसील गंगोलीहाट के ग्राम खरकोली क्षेत्रान्तर्गत खसरा सं0 2762, 2763, 2808, 2809 कुल रकवा 0.881 है0 के मध्ये 0.600 है0 उपखनिज क्षेत्र की तकनीकी निविदा में निम्न निविदाताओं को सफल घोषित किया गया :–

क्र0सं0	निविदादाताओं का नाम	तकनीकी निविदा का परिणाम
1	2	3
1	श्री जगत सिंह रौतेला	अनुभव प्रमाण पत्र में छः माह से अधिक का खनन पट्टा संचालन करने का स्पष्ट उल्लेख न होने के कारण असफल निविदाकार घोषित।
2	श्री उमेश खर्कवाल	निविदा प्रकाशित से पूर्व का आवेदन शुल्क के रूप में जमा चालान में छेडछाड किये जाने के दृष्टिगत एवं निरस्त चैक की प्रति स्वहस्ताक्षरित न होने के कारण असफल निविदाकार घोषित।
3	श्री रमेश चन्द्र पुनेड़ा	वित्तीय निविदा में प्रतिभाग करने हेतु सफल घोषित।
4	श्री निर्मल कुमार	एफ0डी0आर0 मूलरूप में जमा न होने एवं निरस्त चैक की प्रति स्वहस्ताक्षरित न होने के कारण असफल निविदाकार घोषित।
5	श्री विजेन्द्र सिंह	प्रपत्र शुल्क एवं डी.डी. मूलरूप में जमा न करने के कारण असफल निविदाकार घोषित।
6	श्री गोपाल सिंह बिष्ट	वित्तीय निविदा में प्रतिभाग करने हेतु सफल घोषित।
7	श्री नरेन्द्र सिंह देउपा	वित्तीय निविदा में प्रतिभाग करने हेतु सफल घोषित।

ई–निविदा सह ई–नीलामी की तकनीकी निविदा में सफल घोषित निविदाकारों की वित्तीय निविदा दिनांक 05.03.2024 समय अपराह्न 4.00 बजे खोली गयी, जिसका परिणााम निम्नवत् है :–

क्र0 सं0	बोलीदाताओं का नाम	वित्तीय निविदा में प्राप्त उच्चतम बोली (घनराशि रू0 में)	वित्तीय बोली में प्राप्त उच्चतम बोली के अनुसार H1 to H3 का परिणाम (रू0 में)
1	2	3	4
1.	श्री गोपाल सिंह बिष्ट	19,87,200.00	H1
2.	श्री नरेन्द्र सिंह देउपा	19,22,400.00	H2
3.	श्री रमेश चन्द्र पुनेड़ा	18,57,600.00	H3

उपरोक्तानुसार ई–ऑक्शन सॉफ्टवेयर से प्राप्त परिणामों के आधार पर प्रतिभागी निविदाकारों/बोलीदाताओं को उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के सुसंगत नियम 25(1) के द्वारा उपरोक्त वर्णित तालिकानुसार प्रतिभागी निविदाकार/बोलीदाताओं को उनके द्वारा दर्ज अंतिम उच्चतम बोली के आधार पर क्रमशः H1, H2,H3 घोषित किया जाता है।

Scanned with OKEN Scanner

उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के नियम 25(1) के प्राविधानानुसार वित्तीय निविदा की कार्यवाही पूर्ण होने एवं सफल बोलीदाताओं (H1 से H3 तक) की घोषणा किये जाने के उपरान्त सर्वप्रथम वित्तीय निविदा के सफल बोलीदाताओं में एच–1 बोलीदाता को उनके द्वारा प्रस्तुत उच्चतम बोली की धनराशि का पच्चीस प्रतिशत के समतुल्य धनराशि (पूर्व में जमा धरोहर राशि (Earnest Money) के अतिरिक्त धनराशि) प्रतिभूति धनराशि (Security Money) के रूप में 15 कार्यदिवसों में एफ0डी0आर0 के रूप में जमा कराने का अवसर प्रदान किया जायेगा। एच0–1 बोलीदाता द्वारा निर्धारित समयान्तर्गत यदि उक्त धनराशि जमा नहीं कराई जाती है तो सम्बन्धित की जमा अर्नेस्ट मनी की धनराशि को जब्त करते हुए उनके विरूद्ध नियम–23(2)(ख) के अनुसार कार्यवाही की जायेगी तथा कोटिक्रम में एच–2 बोलीदाता को एच–1 द्वारा बोली गयी उच्चतम बोली पर खनन पट्टा लिये जाने तथा उच्चतम बोली की धनराशि का पच्चीस प्रतिशत के समतुल्य धनराशि (पूर्व में जमा धरोहर धनराशि (Earnest Monery) की धनराशि के अतिरिक्त अवशेष धनराशि) प्रतिभूति धनराशि (Security Monery) के रूप में 15 कार्यदिवसों में एफ0डी0आर0 के रूप में जमा कराने का अवसर प्रदान किया जायेगा। उक्त प्रक्रिया कोटिक्रम में एच–3 तक अपनाई जायेगी। एच–3 द्वारा निर्धारित समयान्तर्गत उक्तानुसार अनुपालन न किये जाने की दशा में ई–नीलामी की प्रक्रिया को समाप्त घोषित करते हुए पुनः ई–नीलामी की कार्यवाही की जायेगी।

उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के नियम 25(1) के प्राविधानानुसार श्री गोपाल सिंह पुत्र श्री पूरन सिंह, निवासी ग्राम मजगाँव, तहसील रानीखेत, जिला अल्मोड़ा के H1 बोलीदाता घोषित होने के फलस्वरूप, उनके द्वारा बोली गई उच्चतम बोली रू0 19,87,200.00 (रू0 उन्नीस लाख सतासी हजार दो सौ मात्र) की धनराशि के सापेक्ष प्रतिभूति धनराशि (Security Money) उच्चतम बोली का 25 प्रतिशत रू0 4,96,800.00 (रू0 चार लाख छियानबे हजार आठ सौ मात्र) आगणित होती है, नियमावली के उक्त नियम–25(1) में किये गये प्रावधानुसार H1 बोलीदाता के द्वारा निविदा में प्रतिभाग करने हेतु आधार मूल्य रू0 15,12,000.00 के 25 प्रतिशत के समतुल्य रू0 3,78,000.00 के सापेक्ष भारतीय स्टेट बैंक, देहरादून, द्वारा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के पक्ष में निर्गत एफ0डी0आर0 संख्या 42365360182 दिनांक 18.10.2023, रू0 7,56,000.00 (रू0 सात लाख छप्पन हजार मात्र) के द्वारा निदेशालय में जमा की गई है, के अन्तर की धनराशि (रू0 4,96,800.00–7,56,000.00 = +2,59,200.00) + रू0 2,59,200.00 (रू0 दो लाख उनसठ हजार दो सौ मात्र) अधिक है, उक्त अधिक जमा की गयी धनराशि वापस लिया जाना है तो उच्चतम बोली की धनराशि रू0 19,87,200.00 की धनराशि के सापेक्ष प्रतिभूति धनराशि उच्चतम बोली का 25 प्रतिशत रू0 4,96,800.00 के समतुल्य नवीन एफ0डी0आर0 के रूप में जो निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के पक्ष में बंधक हो, जमा की जानी होगी, के जमा किये जाने पर पूर्व जमा एफ0डी0आर0 वापस कर दी जायेगी, अन्यथा की स्थिति में उक्त धनराशि को खनन पट्टा स्वीकृति के उपरान्त पट्टाधनराशि के सापेक्ष समायोजित किया जायेगा।

अतः H1 बोलीदाता श्री गोपाल सिंह पुत्र श्री पूरन सिंह, निवासी ग्राम मजगाँव, तहसील रानीखेत, जिला अल्मोड़ा को निर्देशित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में 15 कार्यदिवस के अन्तर्गत अपनी सहमति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि तद्नुसार नियमावली के नियम 25(2) के प्राविधानानुसार H1 बोलीदाता के पक्ष में प्रश्नगत क्षेत्र का सीमाबन्धन किये जाने, खनन योजना तैयार किये जाने, पर्यावरणीय अनुमति, एन0बी0डब्लू0एल0 (यदि आवश्यक हो) की अनुमति प्राप्त किये जाने हेतु आशय पत्र निर्गत किया जा सकें।

(एस0एल0 पैट्रिक)
निदेशक

संख्याः 6701 /उ0ख0/भू0खनि0नि0/वि0निवि0परि0/2023–24, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित :–

1. सचिव, खनन, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।।
3. प्रभारी जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, जनपद पिथौरागढ़।
4. श्री गोपाल सिंह पुत्र श्री पूरन सिंह, निवासी ग्राम मजगाँव, तहसील रानीखेत, जिला अल्मोड़ा।

(एस0एल0 पैट्रिक)
निदेशक

Scanned with OKEN Scanner